प्रेषक,

अपर सचिव,
माध्यमिक शिक्षा परिषद
क्षेत्रीय कार्यालय,उ0प्र0 मेरठ

सेवा में ,

प्रबन्धक,
श्री विद्याराम हा0से0स्कूल,
नगला बरौली गूजर, आगरा।

पत्रांक : मा0शि0प0 / मान्यता / मे0 / दिनांक– **27 जून, 2025**

विषयः सीधे हाईस्कूल नवीन (कक्षा 6–10) की मान्यता प्रदान करने के सम्बन्ध में ।

महोदय,

माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज में आयोजित मान्यता समिति की संस्तुति पर सभापति ,माध्यमिक शिक्षा परिषद के अनुमोदनोपरान्त शासन के द्वारा निर्गत शासनादेश संख्याः 516(3) / 15–7–2025–1 (02) / 2025 उत्तर प्रदेश शासन, माध्यमिक शिक्षा अनुभाग–7, लखनऊ दिनांक 25 जून, 2025 के द्वारा इण्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम–1921 (यथा संशोधन 2022) की धारा 7(4) के अन्तर्गत आपकी संस्था **श्री विद्याराम हा0से0स्कूल, नगला बरौली गूजर, आगरा** को बालक विद्यालय के रूप में परिषद की हाईस्कूल परीक्षा वर्ष 2027 से निम्नलिखित सामान्य एंव विशेष प्रतिबन्धो के अधीन सभी अनिवार्य एंव वैकल्पिक विषयों के साथ (वनटाइम) वित्त विहीन मान्यता दिये जाने के आदेश प्रदान किए गए है।

सामान्य प्रतिबन्ध

(1) इण्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम 1921 (यथा संशोधित–2022) की धारा 7(4) के प्रावधानों के अन्तर्गत इस पत्र द्वारा नवीन / अतिरिक्त वर्ग / विषय की प्रदत्त मान्यता को 6–10 की कक्षायें संचालित करने के पूर्व शिक्षण कार्य हेतु व्यवस्था ,साज–सज्जा ,शिक्षण सामग्री ,प्रयोगशाला ,भवन ,पुस्तकालय ,प्राभूत, सुरक्षित कोष एंव आर्थिक स्थिति और अन्य प्रतिबन्धो की पूर्ति तथा विद्यालय के अनुशासन व प्रशासन की व्यवस्था कर जिला विद्यालय निरीक्षक को अवगत कराये।

(2) इस मान्यता–पत्र के निर्गत होने की तिथि से दो वर्ष के अन्दर ही जिला विद्यालय निरीक्षक एंव परिषद को 9–10 कक्षा संचालित करने की विधिवत् लिखित सूचना रजिस्टर्ड डाक द्वारा दी जाय अन्यथा प्रदत्त मान्यता स्वतः समाप्त समझी जायेगी।

(3) साज–सज्जा की व्यवस्था शासन द्वारा निर्धारित मानक के अनुसार की जाये।

(4) इस पत्र में अकित विषयो के अध्यापनार्थ परिषद द्वारा निर्धारित योग्यताधारी पात्र व्यक्ति को कार्य पर लगाया जाय।इस हेतु व्यय होने वाली धनराशि अपने निजी स्रोतो से प्रबन्धाधिकरण द्वारा स्वयं वहन करना होगा।

(5) यह मान्यता वित्तविहीन प्रदान की जा रही है। विद्यालय की प्रशासनिक एंव शिक्षण की व्यवस्था प्रबन्धाधिकरण द्वारा अपने स्रोतो से की जायेगी।

(6) नवीन कक्षाएं संचालित करने के समस्त व्यय प्रबन्धाधिकरण द्वारा स्वयं वहन किया जायेगा तथा इस निमित्त कोई अनुदान देय नही होगा।

(5)

विशेष प्रतिबन्ध

(क) संस्था द्वारा प्रेषित मान्यता सम्बन्धी विवरण में यदि कोई सूचना गलत पायी जाती है तो विद्यालय को प्रदत्त मान्यता निरस्त कर दी जायेगी ,जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व संस्था के प्रबन्धाधिकरण का होगा।

(ख) विद्यालय में प्राइमरी की कक्षाए मान्य नही होगी।

(ग) यह मान्यता का आदेश माननीय उच्च न्यायालय में योजित विशेष अपील संख्या–25/2006 मंजू अवस्थी व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में आदेश दिनांक 06.11.2012 के विरूद्व योजित क्लियरीफिकेशन एप्लीकेशन में पारित होने वाले अंतिम निर्णय के अधीन होगा।

(घ) प्रदान की जा रही मान्यता का नवीनीकरण 03 वर्ष के उपरान्त कराना अनिवार्य होगा।

टिप्पणी –इस पत्र में अकित समस्त सामान्य एंव विशेष प्रतिबन्धो की पूर्ति 6(छः)माह के अन्दर किया जाना आवश्यक होगा ।

भवदीय

(ज्योति प्रसाद)
अपर सचिव
माध्यमिक शिक्षा परिषद
क्षेत्रीय कार्यालय ,उ0प्र0मेरठ

पृष्ठांकन सं0: मा0शि0प0/मान्यता /मे0 /95 (1–4) दिनांक– 27 जून, 2025

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित अधिकारियो को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. उप सचिव (माध्यमिक शिक्षा अनुभाग–7), उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
2. सचिव ,माध्यमिक शिक्षा परिषद ,उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
3. सम्भागीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, आगरा।
4. जिला विद्यालय निरीक्षक, आगरा।

27/6/25

(ज्योति प्रसाद)
अपर सचिव